न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान महावीर प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 169/2025

निर्णय दिनांक ....20/06/2025...

महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जांगिड़ निवासी भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थितिः–

3. श्री मूलचन्द गोस्वामी (वकील वादी)
4. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भलाउ टिब्बा पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर के खाता सं. 109 खसरा सं. 785/5 तादादी 2.1623, हैक्ट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा भलाउ टिब्बा पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद की जगह महावीर पुत्र हनुमान गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, में सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा भलाउ टिब्बा पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर के खाता सं. 109 खसरा सं. 785/5 तादादी 2.1623, हैक्ट में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद व महावीर पुत्र हनुमान दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र हनुमान अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही भलाउ टिब्बा पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर के खाता सं. 109 खसरा सं. 785/5 तादादी 2.1623, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **महावीर पुत्र हनुमान** **Delete** कर इसके स्थान पर **महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....20/6/2025.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)